

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पु.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2022/987
दिनांक: 09.06.2022

सेवा में,

प्रबन्धक,
कालिन्दी सिंह महाविद्यालय,
ईशोपुर, माहपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय अन्तर्गत विषयों में अनुमोदित प्रवक्ताओं के सविदा-विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 20.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र संख्या-पू०वि०वि०/सम्बद्धता/02-(तीन)/2016/6675, दिनांक 08.03.2016 द्वारा अनुमोदित तथा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ताओं का सविदा-विस्तारण उनके नाम के सम्मुख तिथि से 05 वर्षों के लिए किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है। प्रवक्ताओं के अंशदायी भविष्य निधि (कान्द्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/सविदा विस्तारण नेट/पी-एच.डी प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में अन्तर्गत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म-तिथि	प्रवक्ता	सविदा-विस्तारण तिथि
स्नातक					
1	श्री विनीत सिंह आधार संख्या-907754326830	श्री चमन सिंह	15.07.1983	प्रयोग विज्ञान	25.03.2021 से 5 वर्ष
2	त्रिप्ति आधार संख्या-002201470213	श्री देवेन्द्र सिंह	15.07.1987	गृहविज्ञान	25.03.2021 से 5 वर्ष
3	डॉ० सीमा मिश्रा आधार संख्या-992088410277	श्री वेद प्रकाश मिश्रा	10.02.1986	शिक्षाशास्त्र	25.03.2021 से 5 वर्ष
4	श्री शैलेन्द्र आधार संख्या-227712326811	श्री देवेन्द्र नाथ चौधरी	03.07.1984	समाजशास्त्र	25.03.2021 से 5 वर्ष
5	श्री फनीस कुमार आधार संख्या-552211471211	श्री राधेश्याम पाण्डेय	05.08.1981	हिन्दी	25.03.2021 से 5 वर्ष
6	बीना सिंह आधार संख्या-192228991122	श्री शिवनारायण सिंह	09.08.1986	अर्थशास्त्र	25.03.2021 से 5 वर्ष

भवदीय

(Signature)
कुलसचिव

(Signature)

कालिन्दी सिंह महाविद्यालय
ईशोपुर, माहपुर, गाजीपुर

श्री बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर



पत्रांक: पू.वि.वि./सन्वद्धता/2023/

दिनांक

06/10/23

प्रबन्धक,

श्री बहादुर सिंह महाविद्यालय

जौनपुर, गौरीपुर।

आपका निम्नलिखित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल विषय में चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन का अनुरोध है।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 19.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखा के आधार पर विद्यारोपण का अनुमोदन जो कि आदेश के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त, 2011 एवं 04 दिसम्बर, 2013 के आलोक में चयनित/चयनित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभिलेखों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एचडी सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजित अपने स्तर से भी करके अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभिलेख अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं. नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
श्री अजीत कुमार आधार संख्या-968905716240	श्री धनश्याम चारसिया	08.01.1996	एम0एच नेट	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभिलेखों एवं प्रवक्ता के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा सूचित किया जाय कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वतन एकाउन्टपेयी कर द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी मापेपनिशि (कालेन्ड्रीक्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट प्रमाणपत्र/पी-एचडी प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जोधपुर

2023

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय

जोधपुर



पत्र सं. पूर्वान्व-100-2023

दिनांक

22/04/23

30-6-23

सेवा में,

प्रबन्धक,

कालिन्दी सिंह महाविद्यालय,

ईशपुर, नगपुर, गाजीपुर।

विषय:-स्वयित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अन्तर्धी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 19/04/2023 का सम्बन्ध ग्रहण करने का अवसर इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारापरान्त में कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्वयित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की सविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अन्तर्धी के अनुमोदन की अनुमति इस सर्व के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अन्तर्धी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० रमेश सिंह	स्व० हरदय सिंह	04/07/1971	एम०एससी.जे.-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या-598976106583

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अग्रवर्षीय भविष्य निधि (कान्फ्रिडरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नोट-प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के अंगण के अधीन किया जाता है।

प्रदीप

कुलसचिव